संख्याः– 1208/VI(1)/2012–02(08)/2011

(157)

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 संधु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,.....
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजनान्तर्गत नई/चालू योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–565/VI(1)/2012–02(08)/2011, दिनांक 04 मई, 2012 एवं सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण, विकास तथा सुविधायें आदि (चालू/नये कार्य) हेतु अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 80.00 लाख **(₹ अस्सी लाख मात्र)** तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत प्राविधानित ₹ 14.88 लाख **(₹ चौदह लाख अट्ठासी हजार मात्र) (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक के लिए 04 माह के लेखानुदान की समस्त धनराशि को सम्मिलित करते हुए)** की धनराशि को व्यय हेतु निम्न विवरणानुसार जनपदवार सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि लाख ₹ में)

क0 सं0	जनपद का नाम	परिव्यय		स्वीकृत की जा रही धनराशि	
		एस.सी.एस.पी.	टी.एस.पी.	एस.सी.एस.पी.	टी.एस.पी.
1	नैनीताल	10.00	-	4.00	-
2	ऊधमसिंहनगर	-	-	-	-
3	अल्मोड़ा	33.00	-	8.00	-
4	पिथौरागढ़	25.00	6.00	7.00	3.00
5	बागेश्वर	12.60	1.80	5.00	1.80
6	चम्पावत	39.00	-	8.00	
7	देहरादून	74.52	16.56	10.00	7.08
8	पौड़ी	30.00	-	8.00	-
9	टिहरी	30.00	-	8.00	-
10	चमोली	54.00	8.90	9.00	3.00
11	उत्तरकाशी	55.00	-	9.00	-
12	रूद्रप्रयाग	10.00	-	4.00	-
13	हरिद्वार	-	-	-	-
	योगः–	**373.12**	**33.26**	**80.00**	**14.88**

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3–उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के शासनादेशों में इंगित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

4–स्वीकृत की जा रही धनराशि को जनपदवार आवंटित परिव्यय के अनुसार ही निर्गत किया जायेगा। धनराशि व्यय करते समय नियोजन विभाग द्वारा गठित परिव्यय का पूर्ण पालन किया जायेगा।

5–उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगो सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना एवं योजना का फोटोग्राफ्स भी यथा समय शासन को उपलब्ध करायेंगे।

6–एक मुश्त रखी जा रही धनराशि का उपयोग सभी जनपदों के नये/चालू निर्माण हेतु किया जायेगा एवं इस प्रकिया में जनपदवार स्वीकृत परिव्यय के अन्तर्गत ही कुल स्वीकृति निर्गत की जायेगी। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चालू योजनाओं को शीर्षप्राथमिकता के आधार पर धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

7–जिला योजना पर व्यय जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपदवार मात्राकृत प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशि का आहरण कर व्यय किया जायेगा।

8–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9–अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही योजनाओं पर किया जायेगा, जो योजनायें जिला नियोजन अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो।

10–अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करते समय शासनादेश सख्या–624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24 मार्च, 2008 का कड़ाई से पालन किया जाय।

11–उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के **अनुदान संख्या–30 एवं 31** के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–.....द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 संधु)
सचिव।

संख्या– 1208/VI(1)/2012–02(08)/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,..... उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– निदेशक, पर्यटन निदेशालय, देहरादून।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
12– जिला पर्यटन विकास अधिकारी,..... उत्तराखण्ड।
13– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।